पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 26 / 2017–630/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 21 / 02 / 2018.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल ₹ 389.40 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख चालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–6199 / 2017 में पारित न्याय निर्णय एवं निर्गत मुखर आदेश के अनुपालन में वर्ष 2010–11 में एफ०एम०डी० टीकाकरण अभियान हेतु M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक द्वारा आपूरित एफ०एम०डी० टीकौषधि के बकाये राशि का भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल ₹ 389.40 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख चालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–6199 / 2017 में दिनांक–27.11.2017 को पारित न्याय निर्णय एवं निर्गत मुखर आदेश ज्ञापांक–489 (नि०) दिनांक–16.02.2018 के अनुपालन में वर्ष 2010–11 में एफ०एम०डी० टीकाकरण अभियान हेतु M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक द्वारा आपूरित एफ०एम०डी० टीकौषधि के बकाये राशि का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकौषधि से टीकाकृत कर पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति से बचाना है ताकि राज्य के पशु रोग मुक्त रह सके।

3) वित्तीय वर्ष 2010–11 में केन्द्र प्रायोजित योजना स्कार्ड के तहत पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा के तहत पशुओं को एफ०एम०डी० संक्रामक रोग से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकौषधि की आपर्ति M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक से ली गई थी, परन्तु M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक द्वारा निविदा में अंकित शर्तों एवं आपूर्ति आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूव भुगतेय राशि को निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा रोक रखी गई थी जिसपर अन्तिम निर्णय नहीं हो सकने के कारण संबंधित फर्म को भुगतान नहीं किया जा सका। संबंधित फर्म द्वारा राशि के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर की गई, जिसपर

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.11.2017 को न्याय निर्णय पारित किया गया, उक्त पारित न्याय निर्णय के क्रम में ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं निर्गत मुखर आदेश ज्ञापांक–489(नि०) दिनांक–16.02.2018 के आलोक में ही राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य अंतर्गत विषय शीर्ष–0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में उपबंधित राशि से रुपये 6.49/– प्रति खुराक की दर से कुल 60 लाख एफ०एम०डी० डोज का कुल रुपये 389.40 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख चालीस हजार) मात्र संबंधित फर्म को उक्त अवधि के बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है।

4) वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403– पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–101– पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02– उप शीर्ष–0101 –पशु अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड–02–2403001010101 के तहत विषय शीर्ष–0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में प्रथम अनुपूरक आगणन से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6) योजना लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त वित्त विभागीय संकल्प–3758/वि०, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)26/2017 के पृष्ठ–29/टि० पर प्राप्त है।

7) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं निर्गत मुखर आदेश के आलोक में संबंधित फर्म M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक के बकाये राशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, पशुपालन द्वारा निदेशक, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना को राशि का आवंटन उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, पशु स्वास्थ्य संस्थान, पटना का यह दायित्व होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं मुखर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित फर्म को एक सप्ताह के अंदर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

8) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)26/2017 के पृष्ठ–29/टि० तथा डायरी सं०–10, दिनांक–19.02.2018.

9) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव

2 E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\ Govt. Order, FMD\ 19-02-2018.

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ M/s Biovet Pvt. Ltd. मलूर, कोलार, कर्नाटक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 26/2017–630 /पटना–15,दिनांक–21/02/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशुस्वास्थ्य के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं मुखर आदेश के आलोक में एफ०एम०डी० टीकौषधि के बकाये राशि के भुगतान पर होने वाले व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	389.40	निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।	पटना समाहारणालय कोषागार, पटना।
योग :–		**389.40**		

कुल (तीन करोड़ नबासी लाख चालीस हजार) रुपये मात्र।

630
21/02/18

21/2/18
सरकार के अपर सचिव

 E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\ Govt. Order, FMD\ 19-02-2018.